भारत के राजपत्र असाधारण (भाग–I, खण्ड–I) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं0 22 (आर.ई. 2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 2013

विषयः– निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने का विकल्प।

विदेश व्यापार नीति, 2009–2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा (क) शुल्क छूट स्कीम (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–I का पैरा 4.28 और (ख) ईपीसीजी स्कीम (प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–I संशोधित संस्करण 2012 का पैरा 5.14) के तहत निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं।

क) निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार धारक द्वारा लागू सीमाशुल्क का भुगतान कर नियमित किया जा सकता है, जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हो और साथ में ऐसे सीमाशुल्क पर ब्याज भी देय होगा, लेकिन इस प्रकार देय ब्याज इस चूक के लिए देय सीमाशुल्क की राशि से अधिक नहीं होगा।

[एक उदाहरण यहाँ दिया जाता हैः माना कि निर्यात दायित्व में चूक 100% है, इसका अर्थ होगा कि बचाए गए पूरे शुल्क की राशि वापस (रिफंड) करनी होगी। इस बचाए गए शुल्क की राशि पर ब्याज की गणना आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक करनी होगी। इस छूट के तहत ब्याज की राशि, बचाए गए शुल्क की मात्रा तक सीमित होगी। यदि बचाए गए शुल्क की मात्रा 150 रुपये थी, तो ब्याज भी 150 रुपये तक सीमित होगा और इस कारण इस मामले के नियमितीकरण के लिए प्राधिकार धारक द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि 300 रुपये होगी। तथापि उतनी ही बचाई गई 150 रुपये की शुल्क राशि के लिए, यदि निर्यात दायित्व 30% था तो बचाई गई संगत शुल्क राशि 45 रुपये हो जाती है (150 रुपये का 30%)। इस प्रकार ब्याज 45 रुपये तक सीमित होगा। अतः 150 रुपये की बचाई गई शुल्क राशि के लिए निर्यात दायित्व में 30 प्रतिशत चूक के इस नियमितीकरण के लिए शुल्क + ब्याज 90 रुपये से अधिक नहीं होगा।]

ख) मौजूदा नीति के अनुरूप सीमाशुल्क का भुगतान या तो नकद या विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी किसी भी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को नामे डालकर (डेबिट करके) किया जा सकता है। लेकिन, ब्याज की राशि का भुगतान केवल नकद ही करना होगा।

ग) यह लाभ उठाने का निर्णय लेने वाले किसी भी प्राधिकार धारक को इस भुगतान की प्रक्रिया 31 मार्च, 2014 तक अथवा उससे पहले पूरी करनी जरुरी है।

घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित रिपोर्टें दायर करने की प्रणाली सहित, आवश्यक प्रक्रियाएं अलग से स्पष्ट की जाएंगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः निर्यात दायित्व में चूक के पुराने मामलों के मोचन/नियमितीकरण हेतु एक विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/94/180/395/एएम13/पीसी 4 से जारी)